न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या : 2026/26

सिविल प्रकरण संख्याः– 13/2026 तारीख रजू 10.02.2026

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

.....आवेदक

बनाम

1. खेमराज सैनी पुत्र श्री मूलचन्द सैनी (विक्रेता एवं प्रोपराईटर) मैसर्स :– महालक्ष्मी स्वीट होम, शॉप नं. 07, गौरव पथ, गांधी मार्केट, बजरिया सवाई माधोपुर निवासीः– सौरती बाजार, शहर, सवाई माधोपुर 322021।

..... अभियुक्त

न्याय **निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii), (2)**(iv)/51 & 54 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णयः– **दिनांक 25.05.2026**

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री नितेश गौतम खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत दिनांक 05.08.2025 को 02.45 पी.एम. पर मैसर्स महालक्ष्मी स्वीट होम, शॉप नं. 07, गौरव पथ, गांधी मार्केट, बजरिया, सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहां जो व्यक्ति मिला उसने अपना नाम खेमराज सैनी पुत्र श्री मूलचन्द सैनी होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाया जो वर्ष 2029 तक के लिए मान्य था। आवेदक द्वारा उक्त संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया गया कि संस्थान में रखे एक कांच के बने डिस्प्ले काउन्टर में एक स्टील की ट्रे में 5–7 किलोग्राम बर्फी (दूध व चीनी से निर्मित) आमजन को विक्रय हेतु रखी हुई थी। उक्त **Burfi made from Milk and Sugar** में गुणवत्ता/मिलावट का अन्देशा होने पर वास्ते नमूना जांच 02 किलोग्राम खरीदकर उसकी कीमत 480/– रूपये खेमराज सैनी को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान बबलू सिंधी के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

हस्ताक्षर करने को कहा जिसे खेमराज सैनी ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म सं0 5ए की एक प्रति विक्रेता खेमराज सैनी को देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक ने खरीदशुदा 02 किलोग्राम **Burfi made from Milk and Sugar** को हिला–मिलाकर एकरूप कर खाली स्टील के बर्तन में तुलवाकर खरीदकर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा **Burfi made from Milk and Sugar** को प्रत्येक बोतल में बराबर–बराबर डालकर 40–40 बूंदे फॉर्मेलीन की डालकर बोतलों को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं कमांक **H-3772** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। चारो नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक **H-3772** नियमानुसार चारो नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नम्बर छः की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवॅर में लपेटकर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नूमना भाग मय फार्म सं 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गयी। आवेदक को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक एफएसएसए/2025/1093 दिनांक 29.08.2025 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक राज. जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2997/एक्ट/2025/3063 दिनांक 11.08.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य पदार्थ Burfi made from Milk and Sugar, Sub-standard & Containing Extraneous Matter** होना पाया गया है।

आवेदक को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र कमांक एफएसएसए/2026/39 दिनांक 28.01.2026 के द्वारा उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त प्रकरण में अभियुक्त द्वारा **Sub-standard & Containing Extraneous Matter, Burfi made from Milk and Sugar** का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii)का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त स्वयं उपस्थित आए। अभियुक्त ने प्रकरण में जवाब पेश किया एवं प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अभियुक्त ने **Sub-standard & Containing Extraneous Matter, Burfi made from Milk and Sugar** का विकय एवं निर्माण करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन किया है। अतः अभियुक्त को अधिकतम शास्ति राशि से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त ने बहस में तर्क दिया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपना टारगेट पूरा करने के लिए यह कार्यवाही की गई है। प्रार्थी की दुकान पर अपना कोई परिचय नहीं दिया और दो किलो बरफी लेकर चले गये एवं फार्म 5 ए नमूना खरीद बिल मौका फर्द रिपोर्ट सभी कागजों पर खाली पर हस्ताक्षर कराये ओर बाद में उनको फर्जी तैयार कर दस्तावेज तैयार कर लिये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार सैंपल नहीं लिया नाही नियमानुसार सैंपल आगे जांच के लिये भेजा। समय–समय पर इनके अभियान चलते है जिनकी पूर्ति के लिए कार्यवाही की गई है जिन्हें निरस्त किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी द्वारा आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/2997/एक्ट/2025/3063 दिनांक 11.08.2025 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विकय किया गया **खाद्य पदार्थ Burfi made from Milk and Sugar, Sub Standard & Containing Extraneous Matter** प्रकृति का होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार नमूने में B.R. Reading of extracted fat at 40.0^0 C result 47.7 आया है जोकि 40.0 to 44.0 होना चाहिए था तथा **Reichert value of extracted fat result 10.20** आया है जोकि **Min. 24.0** होना चाहिए था इस प्रकार उक्त जांच यह दर्शाती है कि नमूने का मिल्क फेट आंशिक रूप से foreign fat से प्रतिस्थापित किया गया है। foreign fat का मतलब आमतौर पर उस वसा या तेल से होता है जो खाद्य पदार्थ के प्राकृतिक वसा का हिस्सा नहीं होता बल्कि उसे अलग से मिलाया जाता है। B.R. Reading of extracted fat at 40.0^0 C of extracted fat की रिपोर्ट के अनुसार मिल्क फेट निर्धारित मात्रा से अधिक आने के कारण नमूना **Sub Standard & containing Extraneous Metter** पाया गया है। अभियुक्त द्वारा उक्त नमूना जांच की पुनः रेफरेल जांच भी नहीं करवाई गई है। जिससे प्रतीत होता है कि अभियुक्त मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट से संतुष्ट है।

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) का अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्व अपराधी करार दिया जाता है, चूंकि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आपराधिक प्रकृति का अपराध करना बखूबी साबित होता है। उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 54 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को सबस्टेण्डर्ड प्रकृति के **खाद्य पदार्थ Burfi made from Milk and Sugar** का विक्रय एवं निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 के अन्तर्गत अभियुक्त पर 25,000/–रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक **25.05.2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर